

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 3994 / 2015

प्रदीप कुमार सिंह

बनाम

श्रीमती मधु द्विवेदी व अन्य

आदेश दिनांक :

12.07.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या-1 का नोटिस अदम तामील लौटा है। अतः प्रत्यर्थी संख्या-1 की तामील हेतु आवश्यक पी.एफ. व नोटिस पुनः पेश किये जावें।

आवश्यक पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थी संख्या-1 की तामील हेतु नोटिस जारी किये जावें।

नोटिस दो सेट में पेश किये जावें। एक सेट तामील की साधारण प्रक्रिया से तथा नोटिस का दूसरा सेट अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जावे।

आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में पूरी की जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति